कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14386/1638 दिनांक 29.11.13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत दिघवारा के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 251/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार
सा०प्र–1 सह०स्था०ले०प० शाखा, पटना

नगर पंचायत दिघवारा (सारण)
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–251/2013–14
(अवधि– 2010–11 से 11–12 तक)

1.प्रस्तावना

नगर पंचायत दिघवारा (सारण) के वर्ष 2010–11 से वर्ष 2011–12 की अवधि का नमूना लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय अंकेक्षण शाखा, बिहार, पटना के दल द्वारा दिनांक 28.01.2013 से दिनांक 09.02.2013 के दौरान किया गया।

2. प्रशासनः–

लेखा परीक्षा अवधि में इसके निम्न पदाधिकारी थेः–

क्र०सं०	अध्यक्ष/मुख्य पार्षद	अवधि
(i)	श्रीमती फुल कुमारी देवी	01.04.2010 से 31.03.2012

क्र०सं०	उप मुख्य पार्षद	अवधि
(i)	श्रीमती अनीता देवी	01.04.2010 से 31.03.2012

क्र०सं०	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
(i)	श्री रविन्द्र कुमार	01.04.2010 से 04.04.2010
(ii)	डॉ० अयोध्या नाथ शुक्ला	04.04.2010 से 31.03.2012

3. अंकेक्षण की परिसीमाः–

अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I तथा असंधारित, अप्रस्तुत अभिलेखों/पंजी की सूची परिशिष्ट – II मे दी जा रही है।

4. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का निष्पादनः–

नगर पंचायत दिघवारा (सारण) द्वारा अंकेक्षण में पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का कंडिकावार अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया अतः निष्पादन की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

अतः नगर पंचायत के पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा को भेजा जाय।

(129)

5. आंतरिक अंकेक्षणः–

बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 20 तथा 30 एवं रिकवरी ऑफ टैक्सेस नियमावली 1951 के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी या पालिका पार्षद द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के प्रावधान हैं।

नियमावली में दी गयी जाँच प्रक्रिया का उद्देश्य लेखा के समुचित संधारण तथा समन्वय के साथ–साथ त्रुटियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित जाँच प्रक्रिया का पालन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पाई गई। इनकी विवेचना बाद की कंडिकाओं में की गई है।

अतः अधिकारियों व पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि जाँच प्रक्रिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितताओं/ त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

6. वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत दिघवारा का वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 की अवधि में अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये विभिन्न मदों के रोकड़ बही का नमूना जाँच किया गया। रोकड़ बही के अनुसार आय–व्यय विवरणी निम्न प्रकार थीः–

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (रू०)	वर्ष 2011–12 (रू०)
1	प्रारंभिक शेष	7,01,944	3,38,732
2	प्राप्तियाँः–		
(क)	अनुदानः–		
(i)	निर्वाचन	21,000	–
(ii)	कबीर अंत्येष्टि	54,000	1,39,500
(iii)	वेतन (न०प्र०)	1,40,000	1,54,000
(iv)	अलाव	2,500	2,500
(v)	जनगणना	1,87,550	–
(vi)	वेतन	1,08,028	–
(vii)	पशुधन गणना	22,780	–
(ख)	स्वयं श्रोत	3,10,824	45,060
(ग)	अन्य	89,904	–
(घ)	ब्याज	–	–
(ड.)	कुल प्राप्ति	9,36,586	3,41,060
3	कुल योग	16,38,530	6,79,792
4	व्ययः–	–	–
(i)	स्थापना	8,41,821	2,31,891
(ii)	निर्वाचन	21,000	–
(iii)	कबीर अंत्येष्टि	54,000	1,08,000
(iv)	वेतन (न०प्र०)	1,26,161	1,54,000
(v)	अलाव	–	–
(vi)	जनगणना	1,87,500	–

(vii)	पशुधन गणना	–	–
(viii)	अन्य	69,316	–
(ix)	कुल व्यय	12,99,798	4,93,891
5	अंतशेष	3,38,732	1,85,901

(II) **जलापूर्ति मदः–**

क0 सं0	**विवरण**	**वर्ष 2010–11 (रू०)**	**वर्ष 2011–12 (रू०)**
1	प्रारंभिक शेष	11,45,360	11,45,360
2	प्राप्ति	–	–
3	योग	11,45,360	11,45,360
4	व्यय	–	–
5	अंतशेष	11,45,360	11,45,360

(III) **12वाँ वित्त अयोगः–**

क0 सं0	**विवरण**	**वर्ष 2010–11 (रू०)**	**वर्ष 2011–12 (रू०)**
1	प्रारंभिक शेष	24,78,535	22,21,425
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	–	–
(ii)	ब्याज	–	–
(iii)	अन्य	8,000	–
(iv)	कुल प्राप्ति	8,000	–
3	योग	24,86,535	22,21,425
4	व्यय		
(i)	योजना	–	–
(ii)	अन्य	2,65,110	1,22,528
(iii)	कुल व्यय	2,65,110	1,22,528
5	अंतशेष	22,21,425	20,98,897

(IV) **राष्ट्रीय गन्दी बस्ती कार्यक्रमः–**

क0 सं0	**विवरण**	**वर्ष 2010–11 (रू० में)**	**वर्ष 2011–12 (रू० में)**
1	प्रारंभिक शेष	72,859	1,53,557
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	–	–
(ii)	ब्याज	–	–
(iii)	अन्य	80,848	–
(iv)	कुल प्राप्ति	80,848	–
3	योग	1,53,707	1,53,557
4	व्यय		
(i)	योजना	–	–
(ii)	अन्य	150	–
(iii)	कुल व्यय	150	–
5	अंतशेष	1,53,557	1,53,557

(127)

(V) चतुर्थ राज्य वित्त आयोगः–

(क)

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (रू० में)	वर्ष 2011–12 (रू० में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
2	प्राप्ति	–	29,71,222
3	योग	शून्य	29,71,222
4	व्यय	–	–
5	अंतशेष	शून्य	29,71,222

(ख)

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (रू० में)	वर्ष 2011–12 (रू० में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
2	प्राप्ति	–	21,68,875
3	योग	शून्य	21,68,875
4	व्यय	–	–
5	अंतशेष	शून्य	21,68,875

(ग)

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (रू० में)	वर्ष 2011–12 (रू० में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
2	प्राप्ति	–	20,00,000
3	योग	शून्य	20,00,000
4	व्यय	–	–
5	अंतशेष	शून्य	20,00,000

(VI) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधिः–

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (रू० में)	वर्ष 2011–12 (रू० में)
1	प्रारंभिक शेष	40,19,270	49,35,270
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	11,16,000	10,65,400
(ii)	ब्याज	–	3,15,874
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल प्राप्ति	11,16,000	13,81,274
3	योग	51,35,270	63,16,544
4	व्यय		
(i)	योजना	–	44,46,700
(ii)	अन्य	2,00,000	–
(iii)	कुल व्यय	2,00,000	44,46,700
5	अंतशेष	49,35,270	18,69,844

(VII) लघु एवं मध्यम शहरी समेकित विकास योजनाः– (IDSMT)

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (रू० में)	वर्ष 2011–12 (रू० में)
1	प्रारंभिक शेष	10,15,000	10,15,000
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	–	–
(ii)	ब्याज	–	–
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल प्राप्ति	–	–

3	योग	10,15,000	10,15,000
4	व्यय		
(i)	योजना	–	–
(ii)	अन्य	–	–
(iii)	कुल व्यय	–	–
5	अंतशेष	10,15,000	10,15,000

(VIII) **पार्षद भत्ताः–**

क0 सं0	**विवरण**	**वर्ष 2010–11 (रू० में)**	**वर्ष 2011–12 (रू० में)**
1	प्रारंभिक शेष	83,000	1,31,000
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	74,400	74,400
(ii)	ब्याज	–	–
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल प्राप्ति	74,400	74,400
3	योग	1,57,400	2,05,400
4	व्यय		
(i)	योजना	26,400	69,400
(ii)	अन्य	–	–
(iii)	कुल व्यय	26,400	69,400
5	अंतशेष	1,31,000	1,36,000

(IX) **आधारभूत संरचनाः–**

क0 सं0	**विवरण**	**वर्ष 2010–11 (रू० में)**	**वर्ष 2011–12 (रू० में)**
1	प्रारंभिक शेष	40,17,991	63,23,991
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	23,06,000	–
(ii)	ब्याज	–	–
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल आय	23,06,000	–
3	योग	63,23,991	63,23,991
4	व्यय	–	
(i)	योजना	–	7,57,000
(ii)	अन्य	–	–
(iii)	कुल व्यय	–	7,57,000
5	अंतशेष	63,23,991	55,66,991

(X) तेरहवीं वित्त आयोगः–

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (रू० में)	वर्ष 2011–12 (रू० में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	8,80,000
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	10,00,000	35,79,795
(ii)	ब्याज	–	–
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल आय	10,00,000	35,79,795
3	योग	10,00,000	44,59,795
4	व्यय		
(i)	योजना	1,20,000	4,74,000
(ii)	अन्य	–	–
(iii)	कुल व्यय	1,20,000	4,74,000
5	अंतशेष	8,80,000	39,85,795

(XI) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनाः–

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2010–11 (रू० में)	वर्ष 2011–12 (रू० में)
1	प्रारंभिक शेष	17,86,325	1,32,855
2	प्राप्तियाँ		
(i)	अनुदान	–	–
(ii)	ब्याज	–	4,25,368
(iii)	अन्य	–	–
(iv)	कुल प्राप्ति	–	4,25,368
3	योग	17,86,325	5,58,223
4	व्यय		
(i)	योजना	16,53,470	5,36,250
(ii)	अन्य	–	–
(iii)	कुल व्यय	16,53,470	5,36,250
5	अंतशेष	1,32,855	21,973

रोकड़ बही की त्रूटियाँः–

(क) आन्तरिक संसाधन की सहायक रोकड़ पंजी (वित्तीय वर्ष–2010–11 एवं 2011–12) के अंकेक्षण अवलोकन में निम्नलिखित त्रूटियाँ पाई गईः–

(I) रोकड़ पंजी पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत दिघवारा का हस्ताक्षर अंकित नहीं था।

(II) रोकड़ पंजी में यत्र– तत्र विभिन्न स्थानों पर (पृष्ठ सं०– 12,16,17,18,31,32,38,42,45,46,48,49,51) काट–छाँट की गई थी।

(III) रोकड़ पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं थी।

(IV) रोकड़ पंजी के पृष्ठ संख्या 35, पंजी तिथि 7/12/2010 पर प्रारंभिक शेष रू० 6,33,004.00 लिखित था जबकि वास्तविक प्रारंभिक शेष रू० 5,73,004.00 था। इसके कारण अंतिम शेष रू०

6,35,504.00 त्रूटियुक्त था एवं इसे रू० 5,75,504.00 होना था। इसके कारण अंतिम शेष में रू० 60,000.00 का अंतर पाया गया।

(V) रोकड़ पंजी के पृष्ठ– सं० 89 के अगले–पृष्ठ पर प्रारंभिक शेष रू० 3,00,294.00 के साथ आय रू० 1,08,000.00 का योग रू० 4,10,294.00 लिखित था जो त्रूटियुक्त था एवं इसे रू० 4,08,294.00 होना चाहिए था। इसके कारण अंतिम शेष रू० 4,10,294.00 त्रूटियुक्त था एवं इसे रू० 4,08,294.00 होना था। इसके कारण अंतशेष में रू० 2000.00 का अंतर पाया गया।

(VI) रोकड़ पंजी के पृष्ठ संख्या 64 के आय–पृष्ठ पर प्रारंभिक शेष रू० 2,45,351.00 एवं आय रू० 2,500.00 का योग रू० 2,47,851.00 था जिसे व्यय पृष्ठ पर अंतशेष के रूप में त्रूटियुक्त रू० 2,47,351.00 लिखा गया था जिसके कारण अंतशेष में 62,500.00 का अंतर पाया गया। अंकेक्षण में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः अगले अंकेक्षण में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(ख) रोकड़ बही एवं बैंक व ट्रेजरी पासबुक का अवशेष :–

रोकड़ बही एवं बैंक खाता का 31.03.2012 का अवशेष का विवरण निम्न प्रकार था–

(क) रोकड़ बही का मद बार अवशेष :–

क्रमांक	मद का नाम	रोकड़ बही का शेष
1	आंतरिक संसाधन	1,85,901/–
2	जलापूर्ति	11,45,360/–
3	12 वाँ वित्त आयोग	20,98,897/–
4	रा०ग०ब० कार्यक्रम (NSDP)	1,53,557/–
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	29,71,222/–
6	,,	21,68,875/–
7	,,	20,00,000/–
8	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	18,69,844/–
9	आई०डी०एस०एम०टी०	10,15,000/–
10	पार्षद भत्ता	1,36,000/–
11	आधारभुत संरचना	55,66,991/–
12	तेरहवीं वित्त आयोग	39,85,795/–
13	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	21,973/–
	योगः–	**2,33,19,415**

(II) बैंक खाता का शेष का विवरणः–

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता सं०	31.03.2012 का शेष
1	भा० स्टेट बैंक, दिघवारा	31,21,25,08,887	17,09,309/–
2	,,	30,22,53,03,701	27,38,210/–
3	सेन्ट्रल बैंक, दिघवारा	2,06,71,09,825	77,43,259/–
4	,,	17,291	2,20,272/–
5	ट्रेजरी पासबुक	184	अप्राप्त
		योग रू०:–	**1,24,11,050**

(123)

अंकेक्षण टिप्पणीः–

नगर पंचायत द्वारा कोषागार खाता का पास बुक अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नही कराया गया, फलस्वरूप राशि की प्राप्ति व भुगतान का मिलान नहीं किया जा सका।

अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

7. बैंक से भुगतान परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टी नहीः–

बैंक पासबुक एवं बैंक विवरणी से रोकड़ बहियों के मिलान में पाया गया कि बैंक से विभिन्न तिथियों में राशि की निकासी पाई गइ परंतु उक्त राशि की प्रविष्टी रोकड़ बही में नहीं पाई गई और न ही इससे सम्बन्धित अभिलेख आदि अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जिसके फलस्वरूप निकासी की जॉच नहीं की जा सकी ऐसी परिस्थिति में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

जबाब में कहा गया कि अगले अंकेक्षण दल को दिखलाया जाएगा। जबाब संतोषजनक नहीं था। उक्त निकासी के संबंध में आवश्यक जाँच की जाय एवं फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IV पर संदर्भित)

8. महत्त्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धियाँः–

नगर पंचायत दिघवारा के लेखा परीक्षा के दौरान निम्न महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलबधियॉ पाई गईः–

क्रमांक	कंडिका सं०	विवरण	राशि (लाख में)
1	10	निधि का अवरोधन	105.56
2	14	गृह कर की वसूली में सरचार्ज की वसूली नहीं	0.74
3	16	संचार टावर से वसूली नहीं	1.94
4	20	आधारभूत संरचना मद से कार्यान्वित योजना में अनियमितता	–
5	22	संवेदक से विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं	3.00
6	23	श्रम उप कर की कटौती नहीं	0.39
7	24	विपत्र की राशि का दो बार भुगतान	0.31

9. सरकारी अनुदानः–

नगर पंचायत दिघवारा द्वारा सरकारी अनुदान एवं विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप पूर्व का अवशेष अनुदान एवं वर्षवार 31 मार्च को वास्तविक अवशेष ज्ञात नहीं हो सका। रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में नगर पंचायत दिघवारा को मदवार प्राप्त अनुदान की कुल राशि ₹17390350 थी। अनुदान पंजी का संधारण किए जाय एवं अगले अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाय।(परिशिष्ट–III)

10. निधि का अवरोधन(105.56 रू.)

विभिन्न योजना मदों के रोकड़ पंजी के नमूना जाँच में पाया गया कि योजना मदों में प्राप्त राशि वर्षों से अनुपयोगित था, जिसे व्यय नही किया गया था, यथोचित कारण स्पष्ट नहीं किया

गया। अतः अनुपायोगित राशि के सरकारी निर्देशों के तहत व्यय किया जाय अन्यथा संस्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी को वापस किये जाए।

मद वार अवशेष राशि का विवरण निम्न हैः–

क्रमांक	मद का नाम	30.03.2012 का अवशेष	अभियुक्ति
1	जलापूर्ति	1145360.00	राशि 2010–11 से पूर्व से पड़ी थी
2	12 वॉ वित्त आयोग	2098897.00	–
3	राष्ट्रीय गन्दी बस्ती कार्यक्रम	153557.00	राशि 2010–11 से पूर्व से पड़ी थी
4	आई०डी०एस०एम०टी०	1591000.00	,,
5	आधार भुत संरचना	5566991.00	,,
	योग–	**10555805.00**	

11. वार्षिक लेखाः–

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 88 एवं 89 के तहत नगर निकायों द्वारा वार्षिक लेखा (तुलन पत्र) प्रत्येक वर्ष के समाप्ति के 4 माह के भीतर तैयार करना है। नगर पंचायत दिघवारा द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मचारी के अभाव में वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। सुझाव के उपरान्त ध्यान दिया जायेगा। अतः भविष्य में ससमय वार्षिक लेखा का संधारण किया जाये एवं अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

12. बजटः–

नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 में नगर पंचायत (शहरी स्थानीय निकाय) द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक नगर निकाय द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार कर सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित किये जाने के उपरांत अनुमोदन हेतु सरकार को भेजना है, जिसे सरकार द्वारा 31 मार्च तक अनुमोदन के उपरांत नगर निकाय को वापस करेगी। नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि 2010–11 का बजट का दिखा दिया गया है तथा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का बजट नगर पंचायत बोर्ड से नियमानुसार पारित करा दिया जायेगा। जबकि कोई भी बजट अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः अवलोकन हेतु बजट अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

13. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर सरकारी खाते में जमा नहीं:–

नगर पंचायत दिघवारा द्वारा मकान कर का माँग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, एवं मकान कर के रसीद में भी शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर का वसूली की राशि का वर्गीकरण नहीं किया गया था। नगर प्रबंधक नगर पंचायत दिघवारा द्वारा मकान कर की 2010–11 से अंकेक्षण अवधि तक वसूल की गयी राशि का वर्गीकरण की सूची को प्रस्तुत किया गया। विवरणी के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर मद में वसूल की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

121

अवधि	शिक्षा उप कर	स्वास्थ्य उप कर
2010–11 से अंकेक्षण अवधि तक	49,394/–	49,394/–
योगः–	**49,394/–**	**49,394/–**

(परिशिष्ट– V)

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर नियमावली 1972 के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर मद में वसूल किया गया राशि में से नगर निकाय द्वारा वसूली राशि से 10 प्रतिशत वसूली के एवज में कटौती कर शेष राशि संबंधित निधि में जमा किया जाना था।

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मद में कुल 98,788/– (49,394/– +49,394/–) की वसूली की गई थी, जिसमें 10% यानि 9,879/– की कटौती कर शेष राशि 88,909/– सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना था जो नही किया गया था। अनुपालन में कहा गया कि नहीं जमा की गई राशि के लिए निदेशानुसार वर्ष 2012–13 के शेष अवधि से आवश्यक कारवाई की जायेगी। अतः राशि 88,909/– संबंधित शीर्ष में जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

14. मकान कर की वूसली मं सरचार्ज की वसूली नहीं:–

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार फरवरी 2010 से पूर्व की बकाया मकान–कर की राशि यदि जनवरी 2010 में जमा किया जाता है तो बकाया राशि बगैर सरचार्ज वसूल किया जाना था एवं यदि पूर्व का बकाया फरवरी 2010 के बाद जमा किया जाता है तो प्रति माह 2% सरचार्ज की वसूली किया जाना था।

मकान कर की रसीदों का नमूना जाँच में पाया गया कि 2% सरचार्ज के रूप में रू0 74259.00 की वूसली नहीं की गई थी। नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त दिशानिर्देश अप्राप्त था, आगे लंबित कर पर सरचार्ज वसुली किया जायेगा अतः कुल 74,259.00 रूपये की वूसली संबंधित/जिम्मेदार व्यक्तियों से की जाय।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VI (क) (ख) पर संदर्भित)

15. नहीं जमा:–

i. मकान कर की वसूली में व्यवहार मे लाये गए रसीदों से की गई वसूली के नमूना जाँच में पाया गया कि श्री शिवनाथ सिंह एवं श्री मुहम्मद शफी अहमद द्वारा क्रमशः ₹83259 एवं ₹282255 (कुल ₹365514) की वसूली की गई थी। जबकि इसके विरूद्ध ₹34965 एवं ₹227160 (कुल ₹262125) ही जमा किया गया था तथा ₹48294 एवं ₹55095 (कुल ₹103389) जमा नहीं किया गया था।

(परिशिष्ट– VII)

लेखापरीक्षा के दौरान राशि ₹78389 को जमा कर दिया गया था। शेष ₹25000 दिनांक 09.11.12 को जमा किया जा चुका था।

ii. विविध रसीद द्वारा वसूली के नमूना जाँच में पाया गया कि श्री शिलानाथ सिंह प्रभारी लेखापाल द्वारा वसूली गई राशि में से कुल 10,510/– नहीं जमा पाया गया। नहीं जमा राशि में से 8350 रूपया अंकेक्षण के दौरान जमा कराया गया। शेष 2160/– संबंधित व्यक्ति से वसूली किया जाय एवं नगर पंचायत निधि में जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। विवरण निम्न प्रकार है:–

रसीद सं०	तिथि	वसूली राशि	पूर्व में जमा	नहीं जमा	अंकेक्षण के दौरान जमा	अवशेष
401–408	20/10/08 से 10/10/09	6060/–	41,760/–	10,510/–	8,350/–	2160/–
412–437	30/09/10 से 03/08/12	46210/–				
	योग–	**52,270/–**				

16. संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं ₹194000.00 शुल्क बकाया रहना:–

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं सम्बन्धित नियमावली, 2012 दिनांक 28.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों से नगर पंचायत क्षेत्र मं पंजीकरण शुल्क में रू० 30,000/– एवं प्रतिवर्ष नवीकरण के शुल्क के रूप में रू० 8,000/– प्रति टावर निर्धारित किया गया है। नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क वसूल किया जाना था एवं नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षों की संख्या के आधार पर वसूल किया जाएगा।

नगर पंचायत द्वारा मोबाईल टावरों की प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार निम्नलिखित मोबाईल टावर को अधिष्ठापित किया गया था।

1	टाटा टेली सर्विस	हरेंद्र प्रसाद	दिघवारा	2006	M.R से 409 एवं 410 दिनांक 15/03/10 द्वारा 2,00,000 जमा
2	अनुपलब्ध	केशव सिंह	चकनूर	—	—
3	आइडिया	सुषमा देवी	राईपट्टी	2007	—
4	एयर टेल	पारस महतो	,,	2006	—
5	टाटा टेली सर्विस	सरोज देवी	सैदपुर	2009	—
6	,,	सुभाष राय	,,	2009	—
7	जी०टी०एल	मु० देवझड़ी कुंवर	दिघवारा	2010	—
8	अनुपलब्ध	सूर्य सिंह	राईपट्टी	2006	—

अंकेक्षण आपत्ति–

1. मोबाईल कम्पनी का नाम व अधिष्ठापित वर्ष वर्णित नहीं:–

नगर पंचायत द्वारा मोबाईल टावर की उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार क्रमांक 2 एवं 8 में कम्पनी का नाम एवं क्रमांक 2 में अधिष्ठापित वर्ष/तिथि अंकित नहीं था।

अतः उपरोक्त टावरों का कम्पनी का नाम व अधिष्ठापित वर्ष/ तिथि से अंकेक्षण को अवगत कराया जाना था किंतु ऐसा नहीं हुआ। अतः अगले अंकेक्षण में उपरोक्त टावरों का कम्पनी का नाम व अधिष्ठापित वर्ष/तिथि से अवगत कराया जाय साथ ही बकाया राशि का गणना कर वसूली हेतु कार्रवाई की जाय।

2. पंजीयन व नवीकरण शुल्क बकाया:–

(क) प्रस्तुत विवरणी के अनुसार निम्न मोबाईल टावरों के कंपनी के पंजीयन शुल्क व नवीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया था। बकाया की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा किये गये कारवाई से अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया था। अतः की गई कारवाई से अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।

क्रमांक	**कम्पनी का नाम**	**अधिष्ठापित वर्ष**	**पंजी करण शुल्क**	**नवी करण शुल्क**	**कुल बकाया**
1	आईडिया	2007	30,000/–	40,000/–	70,000/–
2	एयर सेल	2006	30,000/–	48,000/–	78,000/–
3	जी०टी०एक०	2010	30,000/–	16,000/–	46,000/–
				योग–	**194000/–**

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि मॉग पत्र बनाकर भेजा जायेगा तत्पश्चात वसुली की कार्रवाई की जायेगी। अतः कुल 194000/– की वसूली की जाय व अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।

17. कमीशन की राशि का अनियमित भुगतान (₹0.08 लाख):–

रोकड़ बही के नमूना जाँच में पाया गया कि श्री सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया, सी०डी०एस० को संचार टावर की वसूल की गई राशि 2,00,000/– का 4% यानि 8,000/– चेक संख्या 9,38,772 दिनांक 06/07/10 द्वारा भुगतान किया गया।

उपरोक्त भुगतान के संबंध में संबंधित व्यक्ति को कमीशन वसूली करने हेतु आदेश की संचिका एवं संचार टावर की वसूली में कमीशन किस प्राधिकार के तहत देय था, अंकेक्षण मं स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, सी0डी0एस0 का किया गया भुगतान रू० 8000 अनियमित था। जबाव दिया गया कि अनियमित भुगतान की राशि की वसूली संबंधित व्यक्ति से की जाएगी। अतः राशि रू० 8000 की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये तथा जमा से संबंधित साक्ष्यों को अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाये।

18. कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत वार्ड पार्षदों को किया गया भुगतान का अभिश्रव अप्रस्तुतः–

आंतरिक संसाधन मद के रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में कुल एक लाख बासठ हजार (1,62,000/–) संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षदों को भुगतान किया गया था। इस संबंध में वार्ड पार्षदों द्वारा उक्त उद्देश्य से किये गए भुगतान का अभिश्रव एवं संचिका अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करया गया। भुगतान का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	चेक संख्या	तिथि	राशि	विवरण
1	125276	01/09/10	54,000/–	2000/– प्रति वार्ड के दर से भुगतान
2	938812	25/01/12	1,08,000/–	6000/– प्रति वार्ड के दर से भुगतान
		योग–	**1,62,000/–**	

भुगतान की गई राशि का अभिश्रव एवं संचिका अगले अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत की जाय। तबतक व्यय की राशि 1,62,000/– अंकेक्षण आपति के अंतर्गत रखी जाती है।

19. योजना का कार्यान्वयन से संबंधित दस्तावेज अप्रस्तुत :–

नगर पंचायत दिघवारा द्वारा विभिन्न योजना मदों से कार्यान्वित योजनाओं का योजना पंजी, योजनाओं की विस्तृत विवरणी एवं अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये संचिकाओं का नमूना लेखा परीक्षा किया गया। उपलब्ध कराये गये ऑकड़े के अनुसार वर्षवार कार्यान्वित योजना की स्थिति निम्नवत हैः–

मद	कार्यान्वित योजना	लंबित योजना	असमायोजित अग्रिम
BRGF	11	5	21,47,800/–
तेरहवीं वित्त अयोग	18	18	5,94,000/–
		कुल –	**27,41,800/–**

(परिशिष्ट– VIII)

अतः विभिन्न योजनाओं में कुल 27,41,800/– असमायोजित थी। अतः उपरोक्त असमायोजित राशि का समायोजन कर अगले लेखापरीक्षा में संबंधित दस्तावेजों को दिखाया जाये।

20. आधारभूत संरचना के तहत कार्यान्वित योजना में अनियमितताएँः–

1. योजना की संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि निविदा के माध्यम से उक्त योजना के द्वारा तीन योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया था, जिसमें एकल निविदा के तहत संवेदक को कार्य सौंपा गया था। बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार एकल निविदा में जिस कार्यालय के अनुसार निविदा किया गया हो उस कार्यालय प्रधान के एक स्तर उपर के पदाधिकारी द्वारा निविदा की स्वीकृति दी जा सकती है।

चुँकि नगर पंचायत में कार्यालय का प्रधान मुख्य पार्षद होते हैं, जिसमें नगर पंचायत के सामान्य बोर्ड का निर्णय एवं सशक्त स्थायी समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के बिन्दुओं पर अपनी सहमति प्रदान करता है। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य पार्षद, नगर पंचायत का बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आदेश कार्य आदि को संपादित किया जाता है। अतः यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन परिस्थितियों में नगर पंचायत द्वारा एकल निविदा स्वीकृत की गई थी। उक्त मद से निम्न योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया था।

क्रमांक	योजना संख्या	प्राक्कलित राशि	31.03.12 तक व्यय	योजना की स्थिति
1	01.09.2010	1,72,000/–	1,58,000/–	–
2	02.09.2010	2,42,000/-	2,42,000/–	पूर्ण
3	03.09.2010	4,68,000/-	3,57,000/–	अपूर्ण
		योग–	7,57,000/–	

जवाब दिया गया कि संचिका का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा, जबाब संतोषजनक नहीं था। वस्तु स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय। तबतक योजना में व्यय संपूर्ण राशि 7,57,000/– अंकेक्षण आपत्ति के तहत रखी जाती है।

2. प्रकाशित निविदा के विरूद्ध योजना में प्राक्कलित राशि का परिवर्तनः–

निविदा सूचना के प्रकाशन में योजना सं०02/09–10 का प्राक्कलित राशि 2,37,774/– प्रकाशित किया गया था परंतु योजना की संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्राक्कलित राशि के साथ छेड़ छाड कर उसे 2,42,000/– कर दिया गया था, फलस्वरूप योजना में कुल 2,42,000/– व्यय किया जा चुका था। जवाब दिया गया कि संचिका का अवलोकन कर आवश्यक

ाकर्रवाई किया जायेगा। जबाब संतोषजनक नहीं था। अतः वस्तु–स्थिति स्पष्ट किये जाने तक राशि 4,226/– (2,42,000– 2,37,774) अंकेक्षण आपत्ति के तहत रखी जाती है।

21. विलोपित

22. संवेदक से विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं:– ₹3.00 लाख

नगर पंचायत दिघवारा द्वारा आधारभूत संरचना के अंतर्गत विलम्ब दण्ड की राशि की कटौती नहीं की गई। विलम्ब दण्ड की राशि बिहार लोक निर्माण संहिता में विनिदिर्ष्ट एकरारनामा के प्रावधान के तहत होना चाहिए जो बताता है कि यदि अभिकर्त्ता निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करता है तो बिहार लोक निर्माण संहिता के क्लाउज–2 के अनुसार संवेदक से प्राक्कलित राशि 1/2% प्रतिदिन या अधिकतम 10% तक विलम्ब दण्ड की कटौती होगी। अतः विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं की गई राशि संबंधित संवेदक से क्यों नहीं वसूल किया गया, इसके प्रत्युत्तर में बताया गया कि बिहार लोक निर्माण संहिता के विनिष्ठ इकरारनामा का आदेश मुझे प्राप्त नहीं था। जवाब संतोषजनक नहीं था। अतः विलम्ब दण्ड की राशि ₹300054.00 की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएँ। (परिशिष्ट– IX)

23. श्रम–उपकर की कटौती नहीं किया जाना:–

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सर्न्निमाण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं/एफ1–302/2006, श्रम नियोजन–865 दिनांक 18/08/2008 द्वारा श्रम उप कर लागू किया गया है। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण लागत का 1% श्रम उप कर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को संप्रेषित करने का प्रावधान है।

परंतु नगर पंचायत दिघवारा के लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान कार्यान्बित योजनाओं पर नगर पंचायत दिघवारा द्वारा 39,02,973/– का कार्य कराया गया था, परंतु विपत्रों से श्रम उप कर की कटौती नही की गई थी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– X पर संदर्भित)

नगर पंचायत द्वारा जबाब दिया गया कि निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के शेष अवधि में कारवाई की जायेगी।

अतः श्रम उपकर की राशि 39,030/– (39,02,973/– का 1%) की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

24. एक ही विपत्र की राशि का दो बार भुगतान:–

बी०पी०एल० सर्वेक्षण हेतु संबंधित व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध समर्पित विपत्र के नमूना जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2006–09 सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत स्वयं सेवी

संस्था के संचालक श्री सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया के द्वारा कुल रू०61,216.00 का विपत्र समर्पित किया गया था जिसका विबरण निम्न प्रकार है:–

दिनांक	राशि
06.09.2008	11,100/–
15.05.2008	44,836/–
30.10.2008	5,280/–
योग–	**61,216/–**

उपरोक्त विपत्र की राशि के विरूद्ध संचालक को निम्न राशि का भुगतान किया गया था:–

चेक सं०	तिथि	राशि	भुगतान का विवरण
812442	12/01/2008	20,000/–	प्रथम अग्रिम
815024	31/10/2008	10,000/–	द्वितीय अग्रिम
938783	01/03/2011	31,216/–	अंतिम भुगतान
012645	09/08/2012	31,216/–	अंतिम भुगतान
	योग–	**92,432/–**	

अंकेक्षण टिप्पणी :–

दिनांक 01/03/2011 को संचिका के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी को उपरोक्त विपत्र की कुल राशि 61,216/– के विरूद्ध अग्रिम की राशि 30,000/– का समायोजन के पश्चात शेष 31,216/– का अंतिम भुगतान हेतु टिप्पणी में कहा गया कि संबंधित घटक एवं आंतरिक संसाधन मद में राशि उपलब्ध नहीं है जबकि अभिश्रव पारित किया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उस टिप्पणी के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया था, फिर भी दिनांक 01/03/11 को ही शेष बकाया राशि 31,216/– का चेक सं० 938783 जारी किया गया था एवं संबंधित व्यक्ति द्वारा राशि की निकासी कर ली गई थी।

तत्पश्चात पुनः चेक सं० 012645 दिनांक 09/08/2012 द्वारा शेष राशि 31,216/– का पुनः भुगतान किया गया। इस प्रकार 31,216/– का दोबारा भुगतान किया गया था।

दोबारा भुगतान की गई राशि दिनांक 08.02.13 को 31,216/– अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया लेकिन जमा से संबंधित दस्तावेजों को लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

25. बी०पी०एल० कार्य में भुगतान की संचिका उपलब्ध नहीं:–

वित्तीय वर्ष में वर्ष 2010–11 में सर्वेक्षण हेतु सी०डी०एस० श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया को कुल 38,100/– का भुगतान किया गया था, जिसका संचिका एवं अग्रिम का समायोजन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	चेक सं०	तिथि	राशि
1	010483	02/02/11	13,100/–
2	938787	01/03/11	25,000/–
		योग–	**38,100/–**

नगर पंचायत द्वारा जबाब दिया गया कि लंबित अग्रिम का समायोजन के उपरांत संचिका अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाएगा। अभिश्रव व संचिका प्रस्तुत किये जाने तक भुगतान की गई राशि 38,100/– अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

26. अंकेक्षण का परिणामः–

अंकेक्षण का परिणाम निम्न अनुसार हैः–

(I)	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि	117955/–
(II)	अधिभार प्रक्रिया द्वारा वसूली हेतु राशि	शून्य
(III)	वसूली हेतु सुझायी राशि	617503/–
(IV)	अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत राशि	961326/–

(विवरण परिशिष्ट– XI पर संदर्भित है)

27. कार्यपालक से वार्तालापः–

अंकेक्षण के दौरान उठायी गयी आपत्ति पर नगर पंचायत के प्राधिकारी से समय–समय पर चर्चा की गई थी।

28. सामान्य अभ्युक्तिः–

नगर पंचायत के रोकड़बही एवं अभिलेखों के संधारण में सुधार की आवश्यकता है। करों के संग्रहण में सार्थक प्रयास की जानी चाहिए। वसूलीकर्त्ता से राशि जमा का प्रतिदिन जाँच की जानी चाहिए। विभिन्न योजना मदों में शेष राशि को दिशा–निर्देश के अनुरूप व्यय किया जाय। दिघवारा नगर पंचायत में नियमित कर्मचारी का अभाव था। अतः संबंधित विभाग से परामर्श कर उचित कारवाई की जाय।

नगर पंचायत द्वारा विभिन्न मदों की राशि का अवरोधन हुआ था, जिससें जिस उद्देश्य से सरकार के द्वारा राशि का आवंटन किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सका था। अतः नगर पंचायत के प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

(अखिलेश पासवान)
पर्यवेक्षक
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार
सा०प्र०–1 सह स्था०ले०प०शाखा पटना।

113

सा०प्र०–1/श०स्था०नि०/ **तिथिः–**

प्रतिलिपि, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत दिघवारा, जिला सारण (छपरा) को अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को बोर्ड की बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा हेतु रखा जाय एवं कंडिका पर विचार विमर्श कर आवश्यक कारवाई करते हुए पत्र प्राप्ति के तीन महीनों के अन्दर कंडिकाबार अनुपालन स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा को भेजी जाय।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

वरीय लेखा परीक्षा अधि0/
श०स्था०नि० सर्कल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

ज्ञापांकः–सा0प्र0–1/श0स्था0नि0/ 14386/ 1438 **दिनांकः–** 29.11.17

सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारितः–

1 प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।

2 जिलाधिकारी, सारण(छपरा), बिहार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित

वरीय लेखा परीक्षा अधि0/
श०स्था०नि० सर्कल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

परिशिष्ट - 1

पंजी / संचिका जो अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किये गये।-
(प्रतिवेदन की कंडिका 3 (ii) से संबंधित)

(1) लेखापाल रोकड़ पंजी
(2) चेक की अधकट्टी
(3) बैंक पास बुक
(4) रोकड़ पाल रोकड़ बही
(5) दैनिक वसूली पंजी
(6) गृहकर रसीद बही
(7) विविध रसीद बही
(8) भुगतान वाउचर
(9) निर्माण कार्य संबंधी कुछ संचिकाएं
(10) मापी पुस्तीका
(11) बन्दोबस्ती की आंशिक संचिका
(12) सेवा पुस्तकाएँ
(13) वेतन पंजी

परिशिष्ट-II

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

पंजी/अभिलेख जो अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत न किये गये:-

(i) राज्यानुदान पंजी

(ii) अनुदान पंजी

(iii) ऋण पंजी

(iv) अग्रिम पंजी

(v) जमा पंजी

(vi) लेखन सामग्री पंजी

(vii) विविध लेखा

(viii) गृहकर की मांग एवं वसूली पंजी

(ix) कर निर्धारण पंजी

(x) वार्षिक लेखा

(xi) लम्बित कार्य की सूची

(xii) सामंजस्य पंजी

(xiii) लॉग बुक

(xiv) स्थायी सम्पत्ति संबंधी पंजी

(xv) मांग पंजी

(xvi) पेंशन लेखा

(xvii) स्टेशनरी क्रय संबंधी संचिका

(xviii) मूल्यवान फार्म की भंडार पंजी एवं निर्गत पंजी